

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की अठारवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा सोमवार, 10 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, यथा वर्षांत 31 मार्च, 2020 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्यवाही व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो निम्न विशेष संकल्प को पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("**आर बी आई**"), भारत सरकार ("**जी ओ आई**"), भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और / या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी यदी कोई हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018, यथा तारीख तक अद्यतन (आई सी डी आर विनियमावली), दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीबद्ध करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीबद्ध किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "**निदेशक मंडल**" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Monday, the 10th August, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any

अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके आगे की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का आबंटन और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर और कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / विवरण-पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारत में या विदेश में, ऐसी संख्या में ईक्विटी शेयरों और / या अधिमान शेयरों को (चाहे संचित या अन्यथा; ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय या अन्यथा) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, **कुल राशि ₹5000 करोड़ से अनधिक है (रुपए पाँच हजार करोड़ केवल)**, ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करना, जो इक्विटी शेयरों पर ऐसे अवसर या समय पर तय किए जा सकते हैं, ऐसी कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता ईक्विटी पूंजी 52% से कम नहीं हो, जिसमें एक या अधिक शेयरधारक, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई"), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा यथा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीके के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण

Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/ or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only)**, inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the shareholders, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital

अपेक्षाएं) विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या यथा लागू अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवसर या समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और या अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू कानून, नियम, विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान शेयरधारक हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जिसका मूल्य आई सी डी आर विनियम के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित मूल्य से कम न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में यथा अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरीयों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों (वारंटों) को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में परिभाषित है) स्थान नियोजन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों /

and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs)

प्रलेखों / परिपत्रों / ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत स्थान नियोजक (क्यू आई पी), जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में परिभाषित है, की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा यथा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी संस्थागत निवेशकों और / या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयर / अधिमानीय शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा किंतु जैसा की लागू हो, अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के

(as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a **placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and** in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations.

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares

मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयरों / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड जाएगा प्रधिकृत है, जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों के प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, शेयरधारकों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, अग्रणी प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा यथा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदारों, सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (प्रीमियम यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों (वारंटों) का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयर / अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त

of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/ preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount

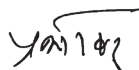
या बढ़ा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि / रिकार्ड तारीख का नियतन या बही समापन तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, इक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन या मोचन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों को जारी संपरिवर्तन के संबंध में मूल्य, प्रीमियम या छूट (डिस्काउंट), भारत में और या विदेश में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा यथा अनुमत है।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए, निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है”।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा



एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

on issue / conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue / conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 13-07-2020

Place : Bengaluru
Date : 13-07-2020

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में तात्विक तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एजीएम

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉक डाउन स्थिति तथा सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंध को देखते हुए, एमसीए (कार्पोरेट मामले मंत्रालय) ने परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए अपनी सामान्य वार्षिक बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग / ओवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी है। सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट संबंधी कुछ प्रावधानों में अतिरिक्त रियायत दी है। उक्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, बैंक अपनी 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कर रहा है जिसे इसके बाद से "ई-एजीएम" के नाम से जाना जाएगा।

बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई-एजीएम के आयोजन के लिए उपस्थिति समर्थन प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है। बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक आयोजन का स्थान माना जाएगा।

3. वीडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीएम) के द्वारा ई-एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश

क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ (फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व) के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।

ख) बड़े शेयरधारकों (2% की शेयर धारिता या अधिक शेयर धारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधक कार्मिकों तथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों के संबंध में ई-एजीएम में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं।

ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई-एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid-up Capital is annexed below.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the prevailing lockdown situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular Nos. Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated 05th May 2020, permitted companies to hold their AGM through VC / OVAM for the calendar year 2020. The SEBI vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 further relaxed certain provisions related to Annual Report. Pursuant to the said guidelines, Bank is conducting its 18th AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue for the meeting.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / AUDIO VISUAL MEANS (AVM)

a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 shareholders on first-come-first serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

c) The attendance of shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

घ) शेयरधारक बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई-एजीएम में भाग ले सकते हैं।

ड) शेयरधारक, रिमोट ई-मतदान क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए शेयरधारक / शेयरधारक लॉगिन के तहत [https://emeetings.kfintech.com / shareholders/members](https://emeetings.kfintech.com/shareholders/members) में वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग ले सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / शेयरधारक लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां आयोजन (ईवेंट) और बैंक का नाम चुना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-मतदान निर्देशों का पालन करते हुए इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

च) शेयरधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

वे शेयरधारक जो कार्यसूची मद पर अपने विचारों / प्रश्नों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपना नाम, फोलियो / डीमैट विवरण, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर देते हुए 05.08.2020 (शाम 05:00 बजे) तक या पहले ईमेल आईडी hosecretarial@canarabank.com में अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यक्ष बैठक की अवधि के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नों का जवाब देंगे।

शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://evoting.karvy.com/> पर लॉग इन करें और "Post your Queries" पर क्लिक करें और उपलब्ध कराये विंडो में अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रश्नों / विचारों / सवालों को पोस्ट करें। "एजीएम प्रश्न" विंडो 7 अगस्त 2020 को सुबह 10.00 बजे से 9 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे तक सक्रिय होगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक के प्रश्नों / विचारों / सवालों का जवाब तब दिया जाएगा, जब शेयरधारक कट-ऑफ की तारीख पर यानी 3 अगस्त 2020 तक शेयरों का धारण जारी रखेगा।

बैठक में बोलने की इच्छा रखने वाले शेयरधारकों को कैमरा के लिए अनुमति देने की आवश्यकता होगी, और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए एक अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक उपरोक्त पोर्टल में "स्पीकर पंजीकरण" के तहत प्रदान किए गए विकल्प के माध्यम से अपना पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

d) The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

e) Shareholders may access the VC at [https://emeetings.kfintech.com / shareholders/login](https://emeetings.kfintech.com/shareholders/login) by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholders login where the EVENT and the name of the bank can be selected. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) The stakeholders may contact RTA/Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the e-mail ID : hosecretarial@canarabank.com on or before 05.08.2020 (05:00 PM), by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The Chairman would answer the queries of shareholders during the course of the meeting.

Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the meeting may log into <https://evoting.karvy.com/> and click on "Post your Queries" and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 7th August 2020 till 5.00 PM on 9th August 2020.

Please note that, shareholder's queries/views/ questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 3rd August 2020.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों को कनेक्ट करने से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो नष्ट होने की संभावना है। इसलिए किसी भी तरह की पूर्वोक्त असुविधाओं को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

शेयरधारक जो एजीएम में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक हैं, वे <https://evoting.karvy.com/> पर लॉग इन कर सकते हैं तथा "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके सबमिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वापस शामिल करने के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

शेयरधारक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अपने रिमोट ई वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके <https://evoting.karvy.com/> पर KFintech की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।

5. परोक्षी की नियुक्ति

परोक्षी को एक शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि, यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए परोक्षी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि संकल्प की एक प्रति उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति प्रमाणित किया जाना है, जिस पर यह पारित किया गया था कि उसे hosecretarial@canarabank.com के माध्यम से बैंक के प्रधान कार्यालय को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि के कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 5 अगस्त, 2020 को शाम 5:00 बजे तक बैंक के बंद होने के समय के पूर्व भेजा जाएगा।

7. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.karvy.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFintech at <https://evoting.karvy.com/> using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank or through e-mail ID : hosecretarial@canarabank.com at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 05th August, 2020 by 5:00PM.

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their

वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

केफिन टेक्नॉलजिस प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ईमेल आईडी सूचित करें।

8. लाभांश का भुगतान व बहियों को बंद करना

बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

केनरा बैंक (शेयरों व बैठक) विनियम के विनियम 12 के अनुसार Internal में बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर व शेयर अंतरण बही, वार्षिक सामान्य बैठक की वजह से मंगलवार, 04 अगस्त 2020 से सोमवार 10 अगस्त 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रखी जायेगी।

9. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि केफिन टेक्नॉलजिस प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, यानी वर्ष 2012-13 से 2014-15 और 2016-17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ www.canarabank.com में दावा करने हेतु शेयरधारकों को

Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Pvt. Ltd.

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:

Bank has not paid any dividend for the Financial Year 2019-20.

Pursuant to Regulation 12 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, the Register of Shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Tuesday, the 04th August 2020 to Monday, 10th August 2020 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIO

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Private. Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2012-13 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to

सक्षम बनाने के लिए अदावकृत / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपने वेबसाइट hosecretarial@canarabank.com में पोस्ट किया है।

केनरा बैंक की योजना 2020 में सिंडिकेट बैंक के सम्मेलन का अनुसरण करते हुए बैंक ने अनुमोदित शेयर विनिमय अनुपात (सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयर के लिए केनरा बैंक के 158 इक्विटी शेयर) के अनुसार 01.04.2020 को सिंडिकेट बैंक के पात्र शेयरधारकों को 42,32,68,155 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। किसी शेयरधारक ने सम्मेलन से पूर्व सिंडिकेट बैंक द्वारा घोषित अपने लाभांश के लिए दावा नहीं किया है तो, हमारे शेयर अंतरण एजेंट / या hosecretarial@canarabank.com पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सात साल की अवधि से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक कथित निधि में सम्मेलित बैंक के अदावकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2012-13 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आई ई पी एफ के लिए वर्ष 2012-13 के अप्रदत्त लाभांश का अंतरण निम्न तारीखों पर देय है:

- ई-सिंडिकेट बैंक : 28.07.2020
(अब केनरा बैंक) के लिए
- केनरा बैंक के लिए : 22.08.2020

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नाटे करे कि विद्यमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और परिपत्र 20/2020, 17/2020 व 14/2020, एमसीए, भारत सरकार व सेबी द्वारा जारी सेबी परिपत्र सेबी एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 के अनुपालन में बैंक द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जायेंगी। वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड हुआ है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com, <https://evoting.karvy.com/> पर भी देखा जा सकता है।

claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Pursuant to Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank Scheme, 2020, the Bank allotted 42,32,68,155 equity shares to the eligible shareholders of Syndicate Bank on 01.04.2020, as per the approved share exchange ratio (158 equity shares of Canara Bank for every 1000 equity shares of Syndicate Bank). Any shareholder who has not claimed their dividend declared by E-Syndicate Bank, pre-amalgamation may also contact our Share Transfer Agent / or Bank at hosecretarial@canarabank.com

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956 / 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/Unpaid Dividend amount of amalgamated Bank for the year 2012-13 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid dividend amount for the year 2012-13 to IEPF falls due on following dates:

- For E-Syndicate Bank : 28.07.2020
(Now Canara Bank)
- For Canara Bank : 22.08.2020

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in view of Prevailing Covid-19 Pandemic and in compliance with the Circulars 20/2020, 17/2020 & 14/2020, SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by MCA, GOI and SEBI, the bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com) Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Private Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com, <https://evoting.karvy.com/> respectively.

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास धारित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दी गई मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सचिवालय की नियुक्ति की है।

शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को उनके द्वारा यथा सोमवार, 03 अगस्त 2020 को धारित ईक्विटी शेयरों के मद्दे होगा जो कि इस प्रयोजन के लिए अंतिम तारीख है। अंतिम तारीख को, भौतिक या विमुद्रित रूप में शेयर धारित करने वाले बैंक के शेयरधारक, नोटिस की कार्यसूची मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- ई-मतदान के लिए निम्नलिखित युआरएल का उपयोग करें:
<https://evoting.karvy.com>
- लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्टि
आपका फोलियो नं. / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपका प्रयोक्ता (यूजर) आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- उनके लिए जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:
शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणाम स्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम और ई-वोटिंग नोटिस की सूचना नहीं दी जा सकी है, उसे भेजने के लिए अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर लिंक: https://ris.kfintech.com/email_registration/ पर क्लिकिंग करते हुए केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को प्रदान किए गए हैं को प्राप्त करें। शेयरधारियों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई-मतदान निर्देशों के साथ-साथ प्रयोक्ता (यूजर) आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through Kfin Technologies Pvt Ltd to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The Bank has appointed S. N. Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Monday, 03rd August, 2020 **being the Cut-off date for the purpose**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically **on the agenda items of the Notice**.

The instructions for e-Voting are as under:

- To use the following URL for e-voting:
<https://evoting.karvy.com>
- Enter the login credentials
Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.
- Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those, whose e-mail addresses are not registered:
Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the

शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस तथा ई-मतदान अनुदेश भेजने के लिए सदस्य वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, स्वयं सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

ई. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

उ. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए-जेड), एक छोटा अक्षर (ए-जेड), एक संख्यात्मक मूल्य (0-9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ईमेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गुप्त प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

ऊ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।

ऋ. सफल लॉगिन करने पर सिस्टम आपको ईवेंट जैसे केनरा बैंक का चयन करने का निर्देश देगा।

ए. **कार्यसूची मद 1 व 2 के लिए :** मतदान पृष्ठ पर यथा अंतिम तिथि (03 अगस्त 2020) तक शेयरधारक द्वारा धारित अनुसार शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के प्रस्तावों के लिए सभी मतों को असहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों में प्रविष्ट करें और मामले के अनुसार "के लिए" / "के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों की साथ में ली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "एबस्टेन" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप या तो "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "एबस्टेन" के रूप में माना जाएगा और धारित किए गए शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टि हेतु ओके करें वरना संशोधन के लिए रद्द (कैंसल) करें। आपके द्वारा पुष्टि करने के बाद आपको मत में संशोधन

User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively member may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Canara Bank.

h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1 & 2 :** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (03rd August 2020) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify

करने की अनुमति बहावेध नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।

ए. फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी हिस्सेदार को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ऐ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से समीक्षक को वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

ए. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना मत देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ऐ. रिमोट ई-मतदान अवधि

मतदान के लिए पोर्टल गुरुवार, 6 अगस्त 2020 को प्रातः 9:00 बजे से रविवार, 9 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई-मतदान प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

ऑ. किन्हीं प्रश्नों के मामले में <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री न.) पर केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के यहां श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ओ. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

ओ. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें की एक बार जब आप ई-वोटिंग के तहत अपना वोट डालते हैं, तो आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और यदि कोई चर्चा होती है तो उसमें भाग ले सकते हैं।

14. बैठक के दौरान ई- मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने

your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF / JPG format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net

k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period

The Portal will remain open for voting from: 9.00 a.m. on Thursday the 06th August, 2020 to 5.00 p.m. on Sunday the 9th August, 2020 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S V Raju of Kfin Technologies Pvt Ltd at 040 67162222 or at 1800 345 4001 (toll free).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present in the

रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

15. मतदान पोल के यहां संवीक्षक

मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग व ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग व पोल के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग व वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जायेगी और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों व केफिन टेक्नॉलजिस लिमिटेड की वेबसाइटों पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

- 31 मार्च, 2020 को बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹1030.23 करोड़ और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.65% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। तथापि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन, और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बैंक ने अपनी 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक 25.07.2019 को आयोजित की थी, जिसमें अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन सहित विभिन्न मोड के माध्यम से ₹6,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे, बैंक ने दिनांक 23.11.2019 के डाक मतदान द्वारा एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को अधिमन्य आधार पर प्रति शेयर ₹237.23 के इश्यू मूल्य पर प्रत्येक ₹10 के 27,69,88,576 इक्विटी शेयर जारी करते हुए 04.12.2019 को ₹6,571 करोड़ जुटाये हैं।
- 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में प्राप्त संकल्प क्यू आई पी के लिए एक वर्ष तक समित है, बैंक के टियर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमन्य इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और पूंजी बढ़ाने के अन्य अनुमत

e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Private Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

- The current Equity Capital of the Bank is ₹1030.23 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2020 is 13.65 %, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank had at its 17th AGM held on 25.07.2019 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹6,000 Crore(including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. While the Bank did not raise capital through any of the modes approved by the Shareholders, the Bank raised ₹6,571 Crore on 04.12.2019 by issue of 27,69,88,576 equity shares of ₹10 each at an issue price of ₹237.23 per share on preferential basis to Government of India after obtaining shareholders approval by way of Special resolution through Postal Ballot notice dated 23.11.2019.
- As the validity of the resolutions obtained in the 17th AGM is restricted to one year for QIPs, In order to shore the Bank's Tier I capital, the Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹5000 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Right Issue,

माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से ₹5000 करोड़ों (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, ईक्विटी केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।
5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
6. संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भारि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान, जारी व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भारि.बै. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
7. आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प, निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य “प्रासंगिक तिथि” के पूर्व के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। “प्रासंगिक तिथि” का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार संबंधी परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में

Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*
6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy requirements as specified by RBI from time to time.
7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors,

रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारियों व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श से निर्धारित की जायेंगी।

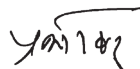
9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद में करने के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य बताया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति के अनुसार होगा।
10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी प्रकार से सममात्रा में हैं।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्पों को पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प में कोई हित या संबंध तिहित नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के हद तक, यदि हो तो।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा



एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 13-07-2020

Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 13-07-2020